



भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

आत्मनिर्भर भारत की पहचान
प्रगतिशील और समृद्ध किसान



पीएम-किसान योजना के तहत
9.50 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में
19 हजार करोड़ रु की सम्मान राशि का हस्तांतरण
एवं पीएम-किसान तथा कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थियों के साथ संवाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

के द्वारा

9 अगस्त, 2021 दोपहर 12:30 बजे
(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

योजना के आरम्भ से अब तक
लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे
1 लाख 37 हजार करोड़ रुपये से
अधिक की राशि हस्तांतरित।

योजना का पूरा खर्च
भारत सरकार द्वारा वहन।

योजना से मिले लाभ
तथा आवेदन की स्थिति
<https://pmkisan.gov.in> पर उपलब्ध।

किसानों की सुविधाओं तथा जानकारी
के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप।

कृषि अवसंरचना कोष

‘कृषि अवसंरचना कोष’
के तहत प्रथम वर्ष में ही 6,524
परियोजनाओं के लिए 4,502 करोड़ रुपये
के ऋण स्वीकृत।

1 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना
कोष का प्रावधान, जिसके अंतर्गत
2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर
सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट।

‘बीज से बाजार’ तक
के विजन को मजबूती।

किसान भाई-बहन, कृषि उद्यमी,
किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि
सहकारी समितियां, स्वयं-सहायता समूह
एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना
का लाभ उठा सकते हैं।

अधिक जानकारी www.agriinfra.dac.gov.in पर देखें।

कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए डीडी न्यूज या डीडी किसान
चैनल या <https://pmevents.ncog.gov.in> पर जुड़ें

पीएम किसान हैल्पलाइन नं :
011-24300606, 155261

